तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म को ता जारी हुए
	बिंचन सुने / तराय	
	प्रार्थी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाजा अपील में वह भी आवश्यक पक्षकार है क्योंकि विवादित आराजियात ख. न. 1236/0.27 है. में से 1/8 हिस्सा सन 2006 से किराये पर लेकर मिन प्रार्थी छोटेलाल ने "सैनी कोलाबल धर्मकांटा" स्थापित किया है, जिसके रजि. नं. RJ 02E0016040 दिनांक 7.2.2006 है। वह इस धर्मकांटे का संचालन कर रहा है और इस आराजी के 1/8 भाग को 23.1.17 को मुन्ना, कैलाश, मुन्नन सभी से क्रय किया है। बयनामा पंजीबद्ध है। जमाबंदी सम्वत 2074-75 में इसका इंद्राज है। इस धर्मकांटे के संचालन में मिन प्रार्थी को किशनलाल, मनोहरलाल, खेमचन्द नि. मालाखेड़ा द्वारा मजाहमत व रुकावट पैदा करने पर मिन प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार रैणी को शिकायत की जिसमें तहसीलदार द्वारा धर्मकांटा का मौका देखने पर रिपोर्ट में अंकन किया कि इसका भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं हुआ है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा दिनांक 16.5.20 को मिन प्रार्थी के धर्मकांटे को सीज कर दिया। मिन अपीलार्थी का इससे कोई सरोकार व ताल्लुक नहीं है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	बिपिनलाल/ सरकार	
	होते हैं, वह अपील का आवश्यक पक्षकार है। यदि इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया तो मिन प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः पक्षकार बनाया जावे। बहस में प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को दोहराया गया व प्रार्थनापत्र 01 R10 स्वीकार किए जाने की इस्तदुआ की। विरोध / जवाब में अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि मिन प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यदि इसका हित होता तो निश्चित ही अपील मिन प्रार्थी के द्वारा ही की जाती। अतः पक्षकार न बनाया जावे। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। मिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज यथा धर्मकांटे रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, पंजीबद्ध इकरारनामा की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजियात के 1336 रकबा 0.27 है. में मिन अपीलार्थी खातेदार है। उद्योग विभाग से पंजीयन प्रमाणपत्र सोनी कोलाबत कम्प्यूटर धर्मकांटा, उद्यमी का नाम छोटे लाल सोनी अंकित है इससे [illegible] है कि मिन प्रार्थी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	क्रिमनलाल/ धरना	
	न्यायहित में आवश्यक है अत: मिन प्रार्थी छोटेलाल को इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 के रूप में संयोजित किया जाता है। मिन प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 01210 स्वीकार किया जाता है।	
	मिन प्रार्थी रे० संख्या 12 द्वारा कथन किया गया कि यह अपील का सुनवाई का अधिकार न्यायालय हजा का न होकर न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महो० का है क्योंकि यह अपील उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 06.5.2020 व संगत कार्यवाही रिपोर्ट 16.5.2020 के आधार पर सीज किया है, यह कार्यवाही भूराजस्व अधिनियम 90.A/91 की धारा के अन्तर्गत किया गया है जिसमें भूमि रूपान्तरण नहीं करवाया जाकर कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधि का संचालन किया जा रहा था अत: उपखण्ड अधिकारी की इस कार्यवाही की अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय हजा का नहीं है क्योंकि अधिसूचना दिनांक 17.10.19 से सुनवाई का अधिकार नहीं रहा। अपील खारिज की गई।	
	जवाब [illegible] में [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	ब्रिजलाल / सरकार प्राप्त होने पर ही प्रश्न तय होगा। अतः सुनवाई की आगे की तारीख नियत की जावे। हमारे द्वारा आलोच्य आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इस सजिर रिपोर्ट का मुख्य आधार "सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति लिए धर्मकांटा पर तुलाई का कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया।" हमारे द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.10.19 का अवलोकन किया गया। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A और 91 व साथ में भूमि रूपान्तरण नियम 1970 (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ) का अवलोकन व मनन किया गया। अपील में उल्लेखित आलोच्य आदेश व इसके अन्तर्गत की गई कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90A/91 व नियम 1970 के प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने के कारण की गई है। अधिसूचना के अनुसार 17.10.19 से अब इस का क्षेत्राधिकार अपील का इस न्यायालय का नहीं रहा है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को इस अनुमति के साथ कि वह "सक्षम न्यायालय" में अपील करने हेतु अनुमत है के साथ इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने से अपील इसी	